संख्या–1112 / 79–6–2012–1(2) / 2012

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 28, सितम्बर, 2012

विषय–प्रदेश के कतिपय जनपदों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को केन्द्रीयकृत किचेन में पूर्णतः मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पौष्टिक गरम पका–पकाया, भोजन स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा शिक्षकों को शिक्षणेत्तर दायित्वों से मुक्त करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद– लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं कन्नौज में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउन्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1)–सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के दृष्टिकोण से 02 से 03 एकड भूमि 10 वर्ष के लिये "नामिनल" दर रू0 1000/– (रू0 एक हजार) प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका नवीनीकरण पॉच–पॉच वर्षो के लिए कार्य संतोष जनक पाये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा। संस्था को उक्त धनराशि लाइसेंस पर भूमि प्राप्त करने से पूर्व एकमुश्त अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी।

(2)–प्रश्नगत स्वैच्छिक संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही भूमि नगर निगम / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / जिला प्रशासन आदि के स्वामित्व में होने के दृष्टिगत भूमि स्वामित्व के अनुसार जिलाधिकारी / नगर आयुक्त / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा अथवा शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर / उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय / मण्डल / जनपद स्तर के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा।

AD/F.C. put up 03/10/12

(अतुल कुमार)
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0प्र0, लखनऊ

GO RP

(... कुमार तिवारी)
... निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण

स्वयंसेवी संस्था को केन्द्रीय भोजनालय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि का स्वामित्व पूर्ववत संबंधित भू–स्वामी का ही रहेगा तथा संस्था को मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम संचालन हेतु विहित समयावधि तक मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार (Right to Usage) होगा, जिसके लिए संस्था द्वारा सरकार को निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(3)–मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम संचालित करने हेतु दूसरे एम0ओ0यू0 (Memorandum of Understanding) का निष्पादन जनपद में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी/संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य किया जायेगा।

(4)–स्वैच्छिक संस्था से अनुबन्ध हेतु एम0ओ0यू0 के प्रारूप को न्याय विभाग द्वारा विधीक्षणोंपरान्त यथासमय पृथक से प्रेषित किए जायेंगे।

(5)–प्रथम चरण में शहरी एवं शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों का भोजन पकाने के उद्देश्य से केन्द्रीय भोजनालय हेतु भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से आच्छादित विद्यालयों/छात्रों का विवरण शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)–यदि संस्था को दी जाने वाली भूमि दो विभागों से संबंधित होगी तो दोनों विभागों की सहमति के उपरान्त शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर के विभागीय अधिकारियों अथवा संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर संस्था को भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(7)–यदि भूमि नजूल की/अन्य विभागों की होगी तो वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 में विहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भूमि बेसिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी और स्वैच्छिक संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क बेसिक शिक्षा विभाग अथवा भू–स्वामी के खाते के माध्यम से राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(8)–मध्यान्ह भोजन योजना हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवंटित जनपद में पृथक से खाता खोला जायेगा।

(9)–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में स्वयंसेवी संस्था के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा।

(10)–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयंसेवी संस्था का भी प्रतिनिधि होगा।

(11)–यदि संस्था द्वारा अपने संसाधनों से विद्यार्थियों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्ट्स का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख स्वैच्छिक संस्था द्वारा किया जायेगा तथा अनुबन्ध के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त धनराशि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का अलग–अलग विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

(12)–किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अथवा समाज सेवा के उद्देश्य से संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत तैयार भोजन को अन्य आपदाग्रस्त व्यक्तियों को वितरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अपने स्रोतों व संसाधन से स्वयं सेवी संस्था अन्य जरूरतमंद लोगों यथा विधवा, गरीब/असहाय व्यक्तियों को भोजन कराने हेतु स्वतंत्र होगी।

(13)–स्वयंसेवी संस्था द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर संस्था के साथ किया गया अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड शुल्क जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा वसूला जायेगा। योजना के कियान्वयन में यदि संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है अथवा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो 15 दिन की नोटिस देकर संस्था से किया गया अनुबन्ध वापस किया जा सकेगा।

(14)–स्वयं सेवी संस्था को यदि जनपद में विभिन्न कारणों से दण्डित किया जाता है, तो प्रदत्त दण्ड के विरूद्ध संस्था द्वारा प्रत्यावेदन/अपील, सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्णय अन्तिम होगा।

(15)–केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना, तैयार भोजन को विद्यालयों तक पहुँचाने की व्यवस्था आदि पर होने वाले समस्त खर्च का वहन स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने संसाधन से किया जायेगा।

(16)–स्वयं सेवी संस्था द्वारा भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोइयां/हेल्पर के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु संस्था द्वारा रसोइयॉं/हेल्पर को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की निश्चित तारीख को किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की प्रधानाध्यापक /अधिकृत शिक्षक द्वारा जांच करने के उपरान्त ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

(17)–विद्यालयों में पूर्व से संचालित भोजनालय का उपयोग संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन को एकत्रित कर बच्चों को वितरित किये जाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भोजन पकाने के प्रयोजन से किया जा सकेगा। सुदूर क्षेत्रों हेतु उप किचेन की भी व्यवस्था की जा सकेगी।

(18)—अक्षय पात्र फाउन्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना को जनपद— लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं कन्नौज आदि में संचालित/क्रियान्वित कराने हेतु तथा अन्य जनपदों में विस्तारित होने की दशा में भी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—394/79—6—00—1(5)/2006 दिनांक 17.02.2006 एवं शासनादेश सं0—435/79—6—2010 दिनांक 24.04.2010 व अन्य सुसंगत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(19)—यदि भविष्य में प्रश्नगत संस्था अक्षय पात्र फाउन्डेशन द्वारा अन्य जनपदों में योजना के विस्तार विषयक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

2— यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का उपरोक्तानुसार विस्तार व संचालन किये जाने हेतु सरकार के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि का ही उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि से संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा—निर्देश के अनुसार देय धनराशि ही चयनित स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। अलग से कोई और धनराशि उपलब्ध कराये जाने की फिलहाल योजना नहीं है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

28.9.12

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/ न्याय/ माध्यमिक शिक्षा/खाद्य एवं रसद/ आवास/ नगर विकास/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2—जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर/आगरा/कन्नौज ।
3—शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4—नगर आयुक्त, सम्बन्धित जनपद।
5—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर/आगरा/कन्नौज ।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

GO RP